उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड,

रिट याचिका (एम/एस) संख्या - 523/2016

सौरभ कुमार चतुर्वेदी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य सूचना आयुक्त और अन्य

.....प्रतिवादी

श्री विकास बहुगुणा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री भुवन भट्ट, अधिवक्ता श्री वी.के. कपरवान, प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्

ता के ब्रीफ होल्डर।

माननीय मनोज कुमार तिवारी, जे. (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता, राज्य सूचना आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा पारित दिनांक 23.12.2015 के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत विलंब से सूचना देने के लिए उस पर २५, ०००/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

2. यह पता चलता है कि दिनांक 27.03.2015 को प्रतिवादी नं. ३ ने कार्यालय प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम को एक आवेदन कर कुछ जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता उक्त कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी के रूप में तैनात था, इसलिए उसने दिनांक 21.04.2015 को एक पत्र जारी किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को ₹ 24/- का शुल्क जमा करने के लिए कहा गया क्योंकि सूचना 12 पृष्ठों में चल रही थी। प्रतिवादी नं. ३ ने कार्यालय के लेखा अनुभाग में 28.04.2015 को आवश्यक शुल्क जमा किया।अंततः 03.06.2015 को प्रतिवादी नं. 3 को सूचना प्रदान की गई।

3. चूंकि एक महीने के भीतर प्रतिवादी नं. 3 को सूचना प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने पहली अपील दायर की, जिसका विलम्ब अपीलकर्ता प्राधिकारी /निगम के महाप्रबंधक द्वारा दिनांक 29.06.2015 के आदेश द्वारा इस आधार पर किया गया कि जानकारी पहले से ही प्रतिवादी नं. ३ को दी गई है। सूचना की आपूर्ति में देरी के संबंध में, अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए बचाव को स्वीकार किया कि उन्हें प्रतिवादी नं. 3 द्वारा ₹ 24/- के शुल्क जमा करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि अपेक्षित शुल्क जमा कर दिया गया है, याचिकाकर्ता को सूचना प्रदान की। हालांकि प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी ने निगम के लेखा अनुभाग को प्रतिवादी नं. 3 को शुल्क वापस करने का निर्देश दिया।

4. इसके बाद प्रतिवादी नं. 3 ने दूसरी अपील दायर करके राज्य सूचना आयोग से संपर्क किया।दूसरी अपील का निस्तारण राज्य सूचना आयुक्त ने दिनांक 18.09.2015 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए किया गया था कि आवेदक

(प्रतिवादी नं. 3) द्वारा बिंदु संख्या 2 पर मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है, अर्थात्, वह आदेश जिसके द्वारा उत्तराखंड वन विकास निगम का कैम्प कार्यालय देहरादून में स्थापित किया गया था। हालांकि, उक्त आदेश द्वारा, राज्य सूचना आयुक्त ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि देरी से सूचना देने के लिए उस पर अधिकतम ₹ 25,000/- का जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

5. याचिकाकर्ता ने 10.12.2015 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया।अपने जवाब में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि प्रतिवादी नं. 3 ने प्रबंध निदेशक कार्यालय के लेखा अनुभाग में अपेक्षित शुल्क जमा किया था, हालाँकि उन्हें इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था, फलस्वरूप वह इस धारणा के तहत काम कर रहे थे कि फीस जमा नहीं हुई है और जब उन्हें पता चला कि प्रतिवादी नं. 3 से मांगा गया शुल्क जमा कर दिया गया है, तो उन्होंने तुरंत सूचना प्रदान की।

6. इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त ने 23.12.2015 को आदेश पारित किया, जिसके तहत प्रतिवादी नं. 3 को सूचना की आपूर्ति करने में 100 दिनों से अधिक की देरी के कारण याचिकाकर्ता पर अधिकतम ₹ 25,000/ का जुर्माना लगाया गया है। इस आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

8. याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी और राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपना बचाव यह था कि उसे प्रतिवादी नं.3 द्वारा शुल्क जमा करने के तथ्य के बारे में अवगत नहीं कराया गया था, इसलिए, वह शुल्क जमा करने के तुरंत बाद सूचना प्रस्तुत नहीं कर सका और जैसे ही उसे पता चला कि शुल्क जमा हो गया है, उसने तुरंत सूचना प्रदान की। इस बचाव को प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन राज्य सूचना आयोग द्वारा इसे खारिज कर दिया था।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 में दंड का प्रावधान है।जुर्माना लगाने की शक्ति का नियमित और आकस्मिक तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।इसका प्रयोग मात्र तभी किया जा सकता है जब राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी उचित कारण के अभाव में, लोक सूचना अधिकारी ने आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब किया है।दूसरे शब्दों में, जुर्माना लगाने के लिए एक निश्चित राय बनायी जानी चाहिए कि लोक सूचना अधिकारी बिना किसी उचित कारण के निर्धारित समय के भीतर जानकारी की आपूर्ति करने में विफल रहा है। राय का गठन वस्तुनिष्ठ विचारों के आधार पर होना चाहिए।
प्रासंगिक सामग्री के आधार पर राय बनाई जानी चाहिए।इस तरह की राय बनाने से उन सामग्रियों का खुलासा होना चाहिए जिनके आधार पर ऐसी राय बनाई गई थी।

10. दिनांक 23-12-2015 के आक्षेपित आदेश को देखने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा पाया गया कि कोई निश्चित राय नहीं बनाई गई है कि प्रतिवादी नं. 3 को सूचना की आपूर्ति में हुई विलम्ब बिना किसी उचित कारण के हुई है। जुर्माना लगाने के लिए बनाई गई राय वस्तुनिष्ठ विचारों पर आधारित नहीं है। विलम्ब के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए बचाव पर इसके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है।

11. यद्यपि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत आवेदक को शुल्क, यदि कोई हो, जमा करने के बारे में लोक सूचना अधिकारी को सूचित करने की आवश्यकता हो, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया बचाव भी मान्य है। कार्यालय के लेखा अनुभाग की ओर से खंड चूक के लिए याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय की विनम्र राय में, सूचना की आपूर्ति में विलम्ब के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा दिखाया गया कारण उचित था, इसलिए जुर्माना बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

12. राज्य सूचना आयुक्त ने जुर्माना लगाने के लिए धारा 20 में निहित शब्दों को केवल दोहराया है, जो कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।कानून की आवश्यकता यह है कि धारा 20 के तहत जुर्माना लगाने के लिए, एक निश्चित निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए कि सूचना की आपूर्ति में विलम्ब बिना किसी उचित कारण के हुआ है।

13. यदि हर छोटी-छोटी चूक के लिए अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर जन सूचना अधिकारियों को दंडित किया जाता है, तो इससे लोक सूचना अधिकारियों में निरंतर आशंका भावना पैदा होगी और उन पर अनुचित दबाव पड़ेगा।तब वे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य को स्वतंत्र दिमाग और वस्तुनिष्ठता से पूरा नहीं कर पाएंगे।
इस तरह के परिणाम भविष्य के विकास और शासन के विकास के लिए अच्छा नहीं होगा, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम लाना चाहता है और लोक सूचना अधिकारियों और अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा विषम और असंतुलित निर्णय ले सकता है।यह अनुचित और हास्यास्पद आदेशों की ओर ले जा सकता है और आरटीआई अधिनियम द्वारा बनाई गई संस्थाओं को बदनाम कर सकता है।

14. कंपनी रजिस्ट्रार बनाम धर्मेंद्र कुमार गर्ग, ILR (2012) 6 Del. 499 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है, जहां न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था:-

> ''61.....विधायिका ने सावधानीपूर्वक प्रावधान किया है कि केवल दुर्भावना या अनुचित आचरण के मामलों में, यानी, जहां पीआईओ बिना उचित कारण के आवेदन प्राप्त करने से इनकार करता है, या सूचना प्रदान करता है, या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक सूचना देता है या सूचना को नष्ट कर देता है, तो पीआईओ पर व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जा सकता है।यह निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं था।"

15. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।आक्षेपित आदेश दिनांक 23.12.2015 को निरस्त किया जाता है।

16. जुर्माने की राशि, यदि पहले ही याचिकाकर्ता के वेतन से काट ली गई है, तो उसे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाएगी।

(मनोज कुमार तिवारी, जे)

03.03 2020

असवाल